

# प्रेस विज्ञप्ति थाना बड़हलगंज गोरखपुर दिनांक 08.01.2023

## **चोरी की कूटरचित नम्बर प्लेट युक्त मोटर साईकिल के साथ 02 अभियुक्त गिरफ्तार**

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद गोरखपुर के द्वारा अपराध की रोकथाम एवं अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में, पुलिस अधीक्षक दक्षिणी जनपद गोरखपुर के पर्यवेक्षण में एवं क्षेत्राधिकारी गोला गोरखपुर के निर्देशन में श्री जय नारायण शुक्ला प्रभारी निरीक्षक बड़हलगंज के नेतृत्व में उ0नि0 घनश्याम सिंह यादव मय टीम द्वारा अभियुक्त 1. कुन्दन कुमार पुत्र तिलेश्वर कुमार निवासी पौहरिया थाना बड़हलगंज जनपद गोरखपुर 2. गौरव सिंह पुत्र अवधेश सिंह निवासी पटना थाना बड़हलगंज जनपद गोरखपुर को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तगण के कब्जे से 01 अदद चोरी की कूटरचित नम्बर प्लेट युक्त मोटर साईकिल बरामद हुआ है। बरामदगी के आधार पर गिरफ्तार अभियुक्तगण के विरुद्ध थाना बड़हलगंज पर मु0अ0सं0 08/23 धारा 41, 411, 467, 468, 471 भा0द0वि0 का अभियोग पंजीकृत कर, अन्य विधिक कार्यवाही की जा रही है।

### **गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता -**

1. कुन्दन कुमार पुत्र तिलेश्वर कुमार निवासी पौहरिया थाना बड़हलगंज जनपद गोरखपुर
2. गौरव सिंह पुत्र अवधेश सिंह निवासी पटना थाना बड़हलगंज जनपद गोरखपुर

### **पंजीकृत अभियोग का विवरण-**

मु0अ0सं0 08/23 धारा 41, 411, 467, 468, 471 भा0द0वि0 थाना बड़हलगंज जनपद गोरखपुर

### **बरामदगी-**

01 अदद चोरी की कूटरचित नम्बर प्लेट युक्त मोटर साईकिल

### **गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-**

1. उ0नि0 घनश्याम सिंह यादव थाना बड़हलगंज जनपद गोरखपुर
2. का0 गोरखनाथ यादव थाना बड़हलगंज जनपद गोरखपुर
3. का0 योगेश प्रजापति थाना बड़हलगंज जनपद गोरखपुर



**फर्द विवरण.....**” फर्द बरामदगी एक अदद चोरी की कुटरचित नं0 प्लेट युक्त मोटर साईकिल व गिरफ्तारी दो नफर अभियुक्तगण अन्तर्गत धारा 41/411/467/468/471 IPC थाना बड़हलगंज जनपद गोरखपुर आज दिनांक 08/01/2023 को मै उ0नि0 मय हमराह का0 गोरख यादव , का0 योगेश प्रजापति के साथ बिनावर देखभाल क्षेत्र ,रोकथाम जुर्म जरायम व पेंडिंग विवेचना मे मामूर होकर चौकी पटना घाट क्षेत्र में मामूर था कि जरिये मुखबीर खास आकर बताया कि दो व्यक्ति चोरी की मोटरसाईकिल पर सवार होकर इसे बेचने की फिराक में पटना ग्राम से कपरवार देवरिया जा रहे है । इस सुचना पर विश्वास करके मै उ0नि0 मय हमराह व मुखबीर के चौकी पटना घाट से पहले पौहरिया गेट के पास असनाय राह से गवाहान फरहान करने का प्रयास किया गया परन्तु उपलब्ध नही हुये । शीघ्रता करते हुये स्वयं व हमराह उचित आड़ में छिप छिपाकर आने वाले उन व्यक्तियों का इन्तजार करने लगे कुछ समय पश्चात पटना ग्राम की तरफ से एक काली रंग की मोटर साईकिल पर सवार दो व्यक्तियों आते दिखाई दिये मुखबीर इशारा कर के हट बढ़ गया । कि हम पुलिस वाले उक्त मोटर साईकिल सवार दोनो व्यक्तियों को इशारा कर रोकने का प्रयास किया तो मोटर साईकिल चालक द्वारा हड़बड़ाहट में मोटर साईकिल सहित रोड की पटरी पर गिर गये । और उठ कर भागना चाहें कि हम पुलिस वाले घेर घार कर पकड़ लिये पकड़े गये दो व्यक्तियों से नाम पता पुछते हुये जमा तलाशी ली गयी तो मोटर साईकिल चालक ने अपना नाम कुन्दन कुमार पुत्र तिलेशर कुमार उम्र 26

वर्ष निवासी पौहरिया थाना बड़हलगंज जनपद गोरखपुर तथा दुसरे नें अपना नाम गौरव सिंह पुत्र अवधेश सिंह उम्र 23 वर्ष निवासी पटना थाना बड़हलगंज बताया। दो व्यक्तियों से भागने का कारण पुछते हुये, मो0सा0 सम्बन्धित दस्तावेज मांगा गया तो कुछ समय चुप रहे के उपरान्त बार-बार अपनी गलतियों की माँफी मांगते हुये बता रहे हैं कि यह मोटर साईकिल हम लोग गोविन्द प्रसाद पुत्र रामजतन प्रसाद निवासी पटकौली थाना बरहज जनपद देवरिया से 2000 रू0 में खरीदी है। ई-चालान सरकारी ऐप द्वारा रजि0 नं0 चेक किया गया तो उक्त मोटर साईकिल वाहन स्वामी का नाम नवनीत कुमार सिंह पुत्र सतेन्द्र कुमार सिंह निवासी HIG-II विवेक पुरम थाना खोराबार जनपद गोरखपुर जिसका चेचिस नं0 MBLHAB058H9L05513 व इंजन नं0 HA11FPH9L05638 उक्त चेचिस नं0 को बरामद शुदा चेचिस से मिलान कराया गया तो मेल नहीं खा रही है। तत्पश्चात पुनः ई-चालान सरकारी ऐप से वाहन का चेचिस संख्या चेक किया गया तो रजि0 नं0 UP52AV7322 व चेचिस नं0 MBLHA7155J9E05824 व इंजन नं0 HA11EMJ9E02453 तथा वाहन स्वामी का नाम देवेन्द्र कुमार पाण्डेय पुत्र नित्यानन्द पाण्डेय निवासी भिखमपुर थाना बरहज जनपद देवरिया अंकित है। उपरोक्त व्यक्ति से बारी-बारी से तथा एक साथ कड़ाई से पुछने पर बता रहे हैं कि साहब हम गौरव सिंह इस गाड़ी को खरीद कर कुन्दन को दे दिया था। कुन्दन से पुछने पर बता रहा है कि मैं मिस्त्री का काम करता हूँ। मैं ही गाड़ी का प्लेट नं0 व आगे का लाईट व कुछ ऊपरी समान बदल कर स्वरूप बदले हैं। इसकी जानकारी गौरव को नहीं बताया है। अब हम लोग गाड़ी लेकर बेचने जा रहे हैं। अब तक कुन्दन ही गाड़ी का उपयोक्त कर रहा था। उक्त मोटर साईकिल के सम्बन्ध में थाना बरहज जनपद देवरिया से जरिये दूरभाष CUG नं0 वार्ता कर जानकारी प्राप्त किया कि उक्त वाहन के सम्बन्ध में थाना बरहज में मु0अ0सं0 236/22 धारा 379/506 भादवि0 पंजीकृत है। पकड़े गये दोनो व्यक्तियों को उनके यह कृत्य से अवगत कराते हुये। अन्तर्गत धारा 41/411/467/468/471 IPC का दण्डनीय अपराध से अवगत करते हुये वाजाफता बकायदा मा0 सर्वोच्च न्यायालय व मानवाधिकार आयोग के आदेशो-निर्देशो का अक्षरशः पालन करते हुये समय करीब 12.10 बजे हिरासत पुलिस में लिया गया दौराने गिरफ्तारी व बरामदगी में रामजनकी मार्ग पर होने के कारण तमाम लोग इकट्ठा हो गये। परन्तु गवाही के लिए पुछने पर भलाई बुराई के डर से हट बढ़ गये। मौके पर गिरफ्तारी मेमे तैयार की गयी। फर्द मौके पर लिख कर पढ़ कर सुनाया गया। सर्व सम्बन्धित से आलामात बनवाये गये। गिरफ्तारी की सूचना जरिये उचित माध्यम से परिजनों को दी गयी। फर्द की एक प्रति अभियुक्त गण को दी गई। “प्रा0पत्र के आधार पर अभियोग पंजीकृत किया गया